

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3816
उत्तर देने की तारीख: 18.12.2024

नव विवाहित पारसी युगलों के लिए जियो पारसी योजना

3816. श्री जय प्रकाश:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वित्तीय सहायता चाहने वाले नव विवाहित पारसी जोड़ों के लिए जियो पारसी योजना पोर्टल शुरू किया है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरिन रिजिजू)

(क) और (ख): जी हां। मेडिकल घटक के तहत वित्तीय सहायता चाहने वाले पारसी दम्पतियों के लिए जियो पारसी योजना पोर्टल शुरू किया गया था। यह पोर्टल लाभार्थियों को लाभ के लिए आवेदन करने और उनके आवेदनों को ट्रैक करने की सुविधा और पहुंच प्रदान करता है। यह पोर्टल त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। पोर्टल को मंत्रालय की वेबसाइट (minorityaffairs.gov.in) के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

जियो पारसी योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (minorityaffairs.gov.in) पर उपलब्ध हैं।
